

समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला गोपनीय शाखा)

आदेश

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिहारीगंज के पत्रांक-837-2, दिनांक 17-10-2016 से दुर्गा पूजा /मुहर्रम पर्व के विसर्जन एवं जुलूस के दौरान हुई घटना में क्षति का प्रतिवेदन/प्रेषित किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-8960 दिनांक 30-09-2013 में अनुग्रह अनुदान का प्रावधान अंकित है। इस संकल्प से कौन आच्छादित होगा तथा कौन आच्छादित नहीं होगा। अतएव क्षति का मूल आकलन हेतु एक समिति का गठन निम्न प्रकार किया जाता है :-

1. अपर समाहर्ता, मधेपुरा - अध्यक्ष
2. अनुमण्डल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज - सदस्य
3. अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज - सदस्य
4. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिहारीगंज - सदस्य
5. अंचलाधिकारी, बिहारीगंज - सदस्य
6. कनीय अभियंता, मनरेगा, बिहारीगंज - सदस्य

उक्त समिति को आदेश दिया जाता है कि दो दिनों के अंदर यथानिदेशित स्थल के सभी क्षति का मूल संकल्प के अधीन आकलन कर हुए वास्तविक क्षति का विस्तृत विवरणी अनुशंसा के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाए।

अनुलग्नक : यथोक्त।

ह0/-

जिलाधिकारी

मधेपुरा।


ज्ञापांक 2521/गो0, मधेपुरा, दिनांक 18/10/2016

प्रतिलिपि : ^{प्रपत्र} अपर समाहर्ता, मधेपुरा / अनुमण्डल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज / अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज / प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिहारीगंज / अंचलाधिकारी, बिहारीगंज / कनीय अभियंता, मनरेगा, बिहारीगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई0टी0 मैनेजर, समाहरणालय, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं सभी संबंधितों को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।


जिलाधिकारी
मधेपुरा 18/10/16

बिहार सरकार

गृह विभाग

(विशेष)

संकल्प

विषय:- आतंकवादी/उग्रवादी/साम्प्रदायिक/जातीय विरोधाभाव/निर्वाचन संबंधी हिंसा/सामूहिक हिंसा एवं हिंसा की घटनाओं में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान के संबंध में निर्धारित नीति का आंशिक संशोधन।

गृह (विशेष) विभाग, बिहार के संकल्प सं०-ए०/विविध-(38)-60-2008- 4624 दिनांक- 16.05.2012 द्वारा राज्यान्तर्गत आतंकवादी/उग्रवादी/साम्प्रदायिक/जातीय विरोधाभाव/निर्वाचन संबंधी हिंसा/सामूहिक हिंसा एवं हिंसा की घटनाओं में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान प्रदान करने की नीति का निर्धारण किया गया था। उक्त संकल्प की कंडिका-3 एवं 3(i)(क) के अनुसार आतंकवादी/उग्रवादी/साम्प्रदायिक/जातीय हमलों/निर्वाचन संबंधी/सामूहिक हत्या एवं हिंसा/उग्र भीड़ द्वारा निर्दोष की पिटाई की घटना/बिहार सरकार के किसी कार्यालय परिसर/ पुलिस हाजत/ सिविल कोर्ट इत्यादि में हुई हिंसक घटनाओं में मारे गये व्यक्तियों के आश्रितों को प्रति मृतक समान रूप से ₹ 1 लाख (एक लाख रुपये) की दर से अनुग्रह-अनुदान देने का प्रावधान है। यह धनराशि वर्तमान में महँगाई की स्थिति को देखते हुए अपर्याप्त प्रतीत होती है, जो मृतकों के आश्रितों के लिए बहुत सहायक सिद्ध नहीं हो सकेगी। इसी प्रकार उपर्युक्त वर्णित घटनाओं के अंतर्गत मकानों/दुकानों की क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के लिए मकानों एवं दुकानों के मालिकों को भी अनुग्रह-अनुदान दिये जाने का प्रावधान नहीं होने के कारण मकानों/दुकानों के मालिकों के समक्ष जीवन-यापन की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है।

अतः सम्यक विचारोपरान्त सरकार द्वारा उक्त संकल्प की कंडिका-3(i)(क) द्वारा अनुग्रह-अनुदान की राशि प्रति मृतक समान रूप से ₹ 5 लाख (पाँच लाख रुपये) की दर से संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रदान करने का निर्णय लिया गया है तथा संकल्प की कंडिका-4 (ii) में वर्णित शीर्ष "क्षतिग्रस्त भवनों, मकानों के लिए अनुदान" के स्थान पर "क्षतिग्रस्त भवनों, मकानों तथा विनष्ट परिसम्पत्ति के लिए अनुदान" तथा उक्त कंडिका 4 (ii) के खण्ड "ग" के बाद परन्तुक "परन्तु मकानों/दुकानों की क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के लिए मकानों/दुकानों के मालिकों को भूतलक्षी प्रभाव की तिथि दिनांक-19.07.2013 से अनुग्रह-अनुदान की अधिकतम राशि ₹ 2.5 लाख (दो लाख पचास हजार रुपये) तक" को जोड़ने का निर्णय लिया गया है।

तदनुसार संकल्प सं०-4624 दिनांक-16.05.2012 का [कंडिका-3 (i)(क) एवं 4 (ii) को निम्न रूपेण संशोधित रूप से पढ़ा जाय।] संशोधित स्वरूप निम्न प्रकार होगा।

राज्यान्तर्गत आतंकवादी/उग्रवादी/साम्प्रदायिक/जातीय विरोधाभाव/निर्वाचन संबंधी हिंसा, सामूहिक हिंसा एवं अन्य हिंसा की घटनाएँ घटित होती हैं और ऐसे हमलों/ हिंसा के शिकार प्रायः निर्दोष व्यक्ति

एवं उनके आश्रित होते हैं। कभी-कभी तो ऐसी घटनाओं में पूरा परिवार प्रायः समाप्त हो जाता है। ऐसे परिस्थिति में कल्याणकारी राज्य की सरकार होने के नाते आतंकवादी/ उग्रवादी/ साम्प्रदायिक/ जातीय विरोधाभाव/ निर्वाचन संबंधी हिंसा, सामूहिक हिंसा/ एवं अन्य हिंसा की हत्या से प्रभावित व्यक्तियों एवं उनके आश्रितों को राहत/ अनुग्रह – अनुदान एवं अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने की सरकार की नीति रही है। इस निमित्त प्रभावित परिवारों को राहत देने हेतु राज्य सरकार द्वारा पूर्व में परिपत्र सं०-1701 दिनांक-21/09/1987 एवं 25/सी दि०-12/01/2001 निर्गत किये गये थे।

2. न्यायालय द्वारा उक्त परिपत्रों के कतिपय प्रावधानों को त्रुटिपूर्ण बताया गया एवं साथ ही अनुग्रह-अनुदान की नीति को पारदर्शी एवं युक्ति-युक्त बनाने का निदेश भी दिया गया है।

3. इस मामले से जुड़े सभी पहलुओं पर सम्यक विचारोपरान्त आतंकवादी/ उग्रवादी/ साम्प्रदायिक / जातीय हमलों/ निर्वाचन संबंधी/ सामूहिक हत्या एवं हिंसा/ उग्र भीड़ द्वारा निर्दोष की पिटाई की घटना/ बिहार सरकार के किसी कार्यालय परिसर/ पुलिस हाजत/ सिविल कोर्ट इत्यादि में हुई हिंसक घटनाओं में मारे गये व्यक्तियों के आश्रितों/ मारे गये व्यक्तियों (वयस्क अथवा अवयस्क) के माता-पिता/ अभिभावक एवं घायल/ पीड़ित व्यक्तियों को देय अनुग्रह- अनुदान एवं अन्य राहत/ सहयता राशि प्रदान करने की संशोधित नीति निम्न प्रकार होगी:-

(i) अनुग्रह-अनुदान की राशि

(क) प्रति मृतक समान रूप से ₹ 5 लाख (पाँच लाख रुपये) की दर से अनुग्रह-अनुदान इस संकल्प के निर्गत होने की तिथि से देय होगा।

(ख) स्थायी रूप से अपंग हुए प्रत्येक व्यक्ति को ₹ 50,000/- (पचास हजार रुपये) मात्र का अनुग्रह-अनुदान देय होगा।

(ग) गंभीर रूप से घायल प्रत्येक व्यक्ति को अधिकतम ₹ 20,000/- (बीस हजार रुपये) का अनुग्रह-अनुदान देय होगा।

4 (क) अनुग्रह-अनुदान का लाभ किसी भी ऐसे व्यक्ति अथवा उनके आश्रित को नहीं मिलेगा, जो उग्रवादी/ आतंकवादी हो अथवा सूचीबद्ध अपराधी हो या किसी वैध पुलिस मुठभेड़ या पुलिस फायरिंग या नाजायज मजमा के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई में मारा गया हो अथवा अपंग/ घायल हुआ हो सूचीबद्ध अपराधियों से तात्पर्य होगा जैसे अपराधी जिनका नाम संबंधित थाना में एवं जिला पुलिस अभिलेख में दर्ज हो। जैसे व्यक्ति को भी अपराधी माना जायेगा, जिनके विरुद्ध संज्ञेय आपराधिक मामला दर्ज हो। जैसे व्यक्ति को भी आतंकवादी/ उग्रवादी या सूचीबद्ध अपराधी माना जायेगा जो देश अथवा राज्य में सक्रिय प्रतिबंधित संगठनों, गिराहों एवं उसके सहयोगी उग्र संगठनों/ संस्थानों से जुड़े हो या उसके सदस्य हों/ साथ ही राज्य के जैसे व्यक्ति जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सक्रिय उग्रवादी/ आतंकवादी/ अपराधी तथा प्रतिबंधित संगठनों के सदस्य/ सदस्यों को आश्रय एवं सहयोग (आर्थिक/ सामाजिक) किया करते हों, भी इस श्रेणी के अन्तर्गत आयेंगे। परन्तु “ नक्सलियों द्वारा की गई हत्या के मामलों में यदि मृतक सूचीबद्ध अपराधी रहें हों अथवा उनके विरुद्ध संज्ञेय आपराधिक मामला दर्ज रहा हो तो भी उनके आश्रितों को अनुग्रह-अनुदान का भुगतान दिया जायेगा बशर्त की आश्रित स्वयं सूचीबद्ध अपराधी न हो या उनके विरुद्ध संज्ञेय आपराधिक मामला दर्ज न हों” ।

यह संशोधित प्रावधान दिनांक-20.12.2010 के प्रभाव से ऐसे मामलों में प्रवृत्त होगा।

(ख) कंडिका-3 (I) की उप कंडिका (क), (ख) एवं (ग) में वर्णित अनुग्रह-अनुदान की स्वीकृति एवं भुगतान करने की शक्ति संबंधित जिला पदाधिकारी में निहित रहेगी तथा इसके लिए वित्त विभाग, बिहार अथवा गृह विभाग, बिहार की पूर्व सहमति/आदेश की आवश्यकता नहीं होगी।

(ग) इस अनुदेश के अन्तर्गत दहेज/आपसी भूमि विवाद/परिवारिक विवाद में मृत व्यक्तियों के आश्रित को अथवा घायलों को अनुग्रह-अनुदान अनुमान्य नहीं होगा।

(ii) क्षतिग्रस्त भवनों, मकानों तथा विनष्ट परिसम्पत्तियों के लिए अनुदान

आतंकवादी/उग्रवादी/साम्प्रदायिक/जातीय/उग्र भीड़ द्वारा सामूहिक रूप से हमला किये जाने के क्रम में भवनों/मकानों (आवासीय/व्यापार परिसर/अन्य कामगार स्थान) के क्षतिग्रस्त होने पर निम्नांकित रूप से मकान/भवन/परिसर मालिक को निम्न रूप से अनुग्रह-अनुदान देय होगा :-

(क) पूर्ण रूप से नष्ट/ध्वस्त होने पर
शहरी/ग्रामीण क्षेत्र के लिए-पक्का मकान-अधिकतम ₹ 1,00,000/- (एक लाख रुपये) तक।
कच्चा मकान-अधिकतम ₹ 50,000/- (पचास हजार रुपये) तक।

(ख) गंभीर क्षति होने पर
शहरी/ग्रामीण क्षेत्र के लिए - ₹ 30,000/- (तीस हजार रुपये) तक।

(ग) मामूली क्षति होने पर - ₹ 5,000/- (पाँच हजार रुपये)

परन्तु मकानों/दुकानों की क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के लिए मकानों/दुकानों के मालिकों/दुकानदारों को भूतलक्षी प्रभाव की तिथि दिनांक-19.07.2013 से अनुग्रह-अनुदान की अधिकतम राशि ₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रुपये) तक अनुमान्य होगी।

उक्त क्षति का आकलन क्षति के परिमाण एवं मूल्यांकन के आधार पर किया जायेगा।

लेकिन, जिस भवन/दुकान का बीमा हुआ हो और उसे बीमा कम्पनी से क्षतिपूर्ति मिलने वाली हो, उसके लिए उपर्युक्त अनुदान अनुमान्य नहीं होगा।

जो भवन/दुकान लोक भूमि पर अतिक्रमण कर बनाया गया हो, उसके लिए भी उपर्युक्त अनुदान देय नहीं होगा।

(iii) सामान्य अनुदेश

(क) घटना की संवेदनशीलता एवं गंभीरता को देखते हुए संबंधित जिला पदाधिकारी का कर्तव्य होगा कि पूरी पारदर्शिता बरतते हुए मृतक/पीड़ितों को उपर्युक्त अनुदेशों के अन्तर्गत अनुग्रह-अनुदान स्वीकृति की कार्रवाई की जाए तथा पुलिस प्रतिवेदन/पोस्टमार्टम रिपोर्ट इत्यादि की जांच के उपरान्त घटना के 15 दिनों के अन्दर अनुग्रह-अनुदान का भुगतान कर दिया जाए। इस बात का ध्यान रखा जाए कि इसमें किसी तरह की शिथिलता नहीं होने पाये। उक्त अनुदेश के तहत स्वविवेक से लिया गया निर्णय अंतिम होगा तथा इसके लिए वित्त विभाग, बिहार अथवा गृह विभाग, बिहार से किसी मार्गदर्शन/अनुमोदन/स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी।

(ख) यदि उपर्युक्त प्रकार के प्रभावित वर्ग व्यापारी समुदाय का हो, जिनका किसी बैंक के माध्यम से कारोबार होता हो, तो उन्हें अपने व्यवसाय में पुनः स्थापित करने एवं बैंक से ऋण दिलाने में जिला प्रशासन पहल करेगा।

